

मांग संख्या 55
मुख्य शीर्ष 2235

मद क्रमांक 1 से 2

आंगनवाड़ी केन्द्रों का उन्नयन तथा ईसीसीई घटक हेतु राशि ₹ 1050.00 लाख का व्यय संभावित है। यह व्यय विभागीय बचत से किया जायेगा।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि ₹ 200 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 3 से 5

आंगनवाड़ी सेवायें (सामान्य) योजनांतर्गत विज्ञापन एवं प्रचार प्रसार, सम्मेलन, तथा मेला उत्सव एवं प्रदर्शनी मद अंतर्गत राशि ₹ 250.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि ₹ 2,50,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 6 से 7

मिशन वात्सल्य योजनांतर्गत 20 विशेषीकृत दत्तक ग्रहण अभिकरण के संचालन हेतु राशि ₹ 200 का प्रतीक अग्रिम स्वीकृत किया गया है। आवश्यक व्यय विभागीय बचत से किया जायेगा।

अतः आकस्मिकता निधि से लिये गये अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु राशि ₹ 200 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 8 से 16

महतारी वंदन योजना के क्रियान्वयन हेतु ₹ 245000.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि ₹ 24,50,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 17 से 19

महिला जागृति शिविर एवं दिशा दर्शन योजनांतर्गत राशि ₹ 250.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि ₹ 2,50,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 20 से 25

नारी निकेतन का संचालन एवं पदस्थ अंशकालीन विशेषज्ञों के मानदेय हेतु राशि ₹ 23.90 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि ₹ 23,90,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4235

मद क्रमांक 26

विभागीय भवनों का निर्माण एवं विद्युत व्यय योजनांतर्गत 860 आंगनवाड़ी भवनों का निर्माण हेतु राशि ₹1500.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि ₹ 15,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 27 से 28

आंगनवाड़ी सेवाओं अंतर्गत पूंजीगत मद का पृथक एसएलएस शीर्ष हेतु राशि ₹200 का प्रतीक प्रावधान किया गया है। आवश्यक व्यय विभागीय बचत से किया जाएगा।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि ₹ 200 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।